Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], डॉ. अमित कुमार यादव[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** संघटक राजकीय महाविद्यालय पाही, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787217

सारांश

महिला सशक्तिकरण हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मापदंड है। यह समावेशी एवं सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अधिकारों में समानता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण बहुल जिला चित्रकूट में सरकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव और प्रभाव दिखाया है। अध्ययन में पाया गया कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है और उन्हें आत्म–निर्भरता मिली है, जिससे परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलने से वे दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुई हैं। इससे संकटग्रस्त परिवारों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक स्थिर हुई है। आजीविका के अवसर बढ़ने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। चित्रकूट एक आकांक्षी एवं मुख्यतः ग्रामीण जिला है, जहाँ गरीबी, अशिक्षा और सीमित रोजगार अवसर जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 मार्च, 2026	**स्वीकृत:** 16 अप्रैल, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
	सारणी: 36	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 24
	मुख्य शब्द: सशक्तिकरण, समावेशन, एसएचजी, सुरक्षा, निर्णय क्षमता, वित्तीय, विकास।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा कानूनी रूप से सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, समाज में पुरुषों के समान अवसर एवं सम्मान प्राप्त कर सकें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की निर्णय–निर्माण क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण तथा समान अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पहली आधिकारिक राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की थी, जिसे बाद में बदलती सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के अनुसार 'महिलाओं के कल्याण' से बढ़ाकर 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' के दृष्टिकोण में ढाला गया है। भारत की महिला सशक्तिकरण नीति केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सुरक्षा, संसाधन और स्वतंत्रता देकर राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाने का एक विजन है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास समाज, अर्थव्यवस्था, कानून और शिक्षा के हर स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी बनाने के बजाय विकास प्रक्रिया की अगुआ बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक

महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' (वार्षिक आय 1 लाख रुपए या अधिक) बनाया जा चुका है। मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों में लगभग 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं। इससे जमीनी स्तर पर महिला उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत से अधिक घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने बाल–लिंगानुपात सुधारने, बालिकाओं के नामांकन एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहद लोकप्रिय छोटी बचत योजना है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पहले से ही 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान लागू है। वन स्टॉप सेंटर के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, पुलिस और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। देश में महिला हितैषी प्रयासों का परिणाम है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) जो 2017–18 में लगभग 23.3 प्रतिशत थी, वह 2023–24 तक बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है।

इस तरह महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और सतत विकास की आधारशिला है। जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

1.1. महिला सशक्तिकरण के आयामः महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैंः

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान की प्राप्ति से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण।
2. रोजगार, स्वरोजगार, आय के साधनों और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
3. स्थानीय निकायों एवं राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास एवं डिजिटल साक्षरता से महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण।
5. संविधान एवं कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रभावी उपयोग से महिलाओं का कानूनी सशक्तिकरण।
6. आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं नेतृत्व क्षमता के विकास से महिलाओं का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण।

1.2. महिला सशक्तिकरण का औचित्यः महिला सशक्तिकरण से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। यह लैंगिक समानता लाने, गरीबी दूर करने और एक स्वस्थ, विकसित समाज के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है और परिवार एवं समाज का समग्र विकास होता है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वित्तीय स्वतंत्रता उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है। इससे गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी आती है। शिक्षित और सशक्त महिलाएं अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और परिवार के कल्याण पर बेहतर ध्यान देती हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार से अंततः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेषकर एसडीजी–5 (लैंगिक समानता) की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

1.3. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाएंः चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित एवं अध्ययन में शामिल प्रमुख सरकारी योजनाएं निम्न प्रकार हैंः

1.3.1. **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित भारत सरकार की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आजीविका के साधन प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।

1.3.2. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)** भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है ताकि उन्हें पारंपरिक अस्वच्छ ईंधन (जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले) के धुएं से मुक्ति मिल सके। कनेक्शन के साथ पहला रिफिल सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त दिया जाता है। चित्रकूट में पीएमयूवाई के कुल 129,915 लाभार्थी हैं, जिन्हें योजना के विभिन्न चरणों के तहत आच्छादित किया गया है।

1.3.3. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है। इसके तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5000 रुपए और दूसरी संतान बालिका होने पर 6000 रुपए की वित्तीय सहायता गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को दी

जाती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना, उचित पोषण और आराम सुनिश्चित करना है। चित्रकूट में पीएमएमवीवाई से अब तक 25,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 106 प्रतिशत उपलब्धि के साथ चित्रकूट जिले का प्रदेश में पहला स्थान है। चित्रकूट में योजना के संचालन का प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट रहा है।

1.3.4. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** भारत सरकार की एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें बैंकिंग, बीमा, पेंशन तथा ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। चित्रकूट जिले में पीएमजेडीवाई के खाताधारकों की संख्या 3.12 लाख है और कुल लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 55 प्रतिशत से अधिक है।

1.3.5. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)** भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसमें पक्के मकान के साथ–साथ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, बिजली की सुविधा और नल से जल जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी एकीकृत किया जाता है।

1.3.6. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है। यह ऋण बिना गारंटी के शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के साथ–साथ कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध है। चित्रकूट जिले में पीएमएमवाई के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन लाभार्थियों में महिला उद्यमियों और वंचित वर्गों की भागीदारी 70 प्रतिशत है।

1.4. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर योजनाओं का प्रभाव हो रहा है और यदि हो रहा है तो महिलाओं के जीवन–स्तर में कितना सुधार हुआ है? इसलिए प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. चित्रकूट में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में निहित चुनौतियों की पहचान एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य की समीक्षा : शोध साहित्य की समीक्षा किसी विशेष शोध विषय पर पहले से प्रकाशित पुस्तकों, लेखों और शोध–पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य स्रोतों का सारांश देना, उनके निष्कर्षों का मूल्यांकन करना और वर्तमान शोध में मौजूद अंतरालों की पहचान करके अपने शोध के लिए आधार तैयार करना है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित विषय पर पूर्व में क्या अध्ययन हुए हैं, उनकी प्रमुख प्राप्तियां क्या हैं और किन क्षेत्रों में अभी भी शोध की आवश्यकता है।

महिलाओं से संबंधित शोध साहित्य से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन विकास के विभिन्न स्तरों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा एवं कम साक्षरता, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा, रोजगार के सीमित अवसर, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैसी चुनौतियां योजनाओं के सशक्तिकरण के प्रभाव को कमजोर करती हैं (दीनदयाल शोध संस्थान)।

चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक आकांक्षी एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है, यहाँ की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जल–संकट, भौगोलिक चुनौतियाँ और पारंपरिक ढाँचा महिलाओं की स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वित्तीय संसाधनों तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ तथा सीमित रोजगार अवसर महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रमुख बाधाएँ हैं (पावनी एवं कुमार, 2025)।

महिला स्वावलंबन पर सकारात्मक नतीजों के बावजूद चित्रकूट के कई दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में कुछ सीमाएं हैं। जिले में योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज भी परंपराओं और प्रथाओं से जुड़ी हैं, जिसके चलते दूर–दराज के गांवों में डिजिटल साक्षरता और योजनाओं की पूरी जानकारी न होने से आवेदन प्रक्रिया कठिन होती है। कौशल विकास की पहुंच बढाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटरों और स्किल डेवलपमेंट की मोबाइल यूनिट्स की जरूरत है (ग्रामीण विकास पत्रिका, 2023)।

अध्ययन दर्शाते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने महिलाओं में सूक्ष्म बचत, बैंक ऋण तक पहुँच और लघु उद्यमशीलता (जैसे हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण) को बढ़ाया है। चित्रकूट जैसे कृषि–प्रधान

और पिछड़े जिलों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की पारिवारिक आय में 15 से 20 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया है। अनेक शोधों में स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बताया गया है। एसएचजी के माध्यम से महिलाओं में बचत की आदत, ऋण प्राप्त करने की क्षमता, लघु उद्यम स्थापना तथा निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में एसएचजी और एनआरएलएम के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। हालांकि वित्तीय साक्षरता की कमी, डिजिटल भुगतान में झिझक और विपणन के साधनों तक सीधी पहुँच न होना मुख्य बाधाएँ बनी हुई हैं (पांडे एवं शुक्ला, 2026)।

रिचा नागर (2000) ने चित्रकूट में महिलाओं के जमीनी स्तर के आंदोलनों का अध्ययन करते हुए बताया कि सामूहिक संगठन, महिला शिक्षा और सामाजिक संवाद ने महिलाओं में आत्मविश्वास तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं अन्य शोधों में भी महिलाओं के कानूनी अधिकारों, जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि स्थानीय निकायों में आरक्षण से महिला प्रतिनिधियों (सरपंच/वार्ड सदस्य) की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन अधिकांशतः 'पति–सरपंच' की प्रथा प्रभावी है, जहाँ वास्तविक शक्तियाँ परिवार के पुरुष सदस्यों के पास रहती हैं। यद्यपि धीरे–धीरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गैर–सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से महिला प्रतिनिधियों की स्वायत्तता में वृद्धि हो रही है। बालिका शिक्षा योजनाओं से चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। हालाँकि, उच्च शिक्षा और तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों तक भौगोलिक पहुँच कम होना अभी भी एक चुनौती है।

अध्ययन बताते हैं कि चित्रकूट के पठारी क्षेत्रों में पानी जुटाने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। जल जीवन मिशन के प्रभाव पर अध्ययन बताते हैं कि घर नल योजना से महिलाओं के समय और शारीरिक श्रम की बचत हुई है, जिसे वे आय–उत्पादक गतिविधियों में लगा पा रही हैं। इसी तरह बुंदेलखंड से होने वाले मौसमी पलायन के कारण घर की देखरेख और खेती की जिम्मेदारी महिलाओं पर रहती है, जिसे शोध साहित्य में 'कृषि का महिलाकरण' कहा गया है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जननी सुरक्षा योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में सकारात्मक बदलाव लाया है। हालांकि कई अध्ययनों में पाया गया है कि चित्रकूट की ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीबी, परिवहन की कमी, सामाजिक प्रतिबंध, बाल विवाह तथा योजनाओं की सीमित जानकारी जैसी समस्याएँ उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

2.1. शोध अंतरालः उपर्युक्त शोध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में अंतर्विभागीय योजनाओं के संयुक्त या समन्वित प्रभाव पर जमीनी अध्ययनों की कमी है। विशेष रूप से यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या सरकारी योजनाओं से निर्गत आर्थिक लाभ महिलाओं में वास्तविक निर्णय लेने की स्वतंत्रता में बदलाव ला पाए हैं या नहीं। उपलब्ध शोध साहित्य से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक अध्ययन हुए हैं, जबकि चित्रकूट जिले के संदर्भ में शोध अपेक्षाकृत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन शिक्षा, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों या किसी एक कार्यक्रम तक सीमित हैं। योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन अभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।

शोध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन किसी एक समय बिंदु पर आधारित हैं। योजनाओं से महिलाओं की आय, आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता में दीर्घकालिक परिवर्तन का अध्ययन अपेक्षाकृत कम है। चित्रकूट जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु साक्ष्य–आधारित नीतिगत सुझाव देने वाले अध्ययन बहुत कम उपलब्ध हैं। जिले में विशेष रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का व्यापक, क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम है। विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति, निर्णय क्षमता, सामाजिक सहभागिता और योजनाओं के वास्तविक लाभ के बीच संबंधों का विश्लेषण भी आवश्यक है।

उपर्युक्त शोध अंतरालों के आधार पर 'चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन' अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्ययन न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं निर्णयात्मक स्थिति में आए परिवर्तनों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। साथ ही, यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर भविष्य की नीति–निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा। इसलिए प्रस्तुत शोध में चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट जिला भौगोलिक रूप से पथरीला, सूखा प्रवण और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जिले में महिलाएं आज भी परंपराओं और प्रथाओं से जुड़ी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए उनका सशक्तिकरण बढ़ रहा है। इसलिए, चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर योजनाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। हालांकि यह पूर्णतः प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित है।

3.1. लक्षित जनसंख्या: चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लक्षित जनसंख्या का चयन शोध के उद्देश्यों पर निर्भर है। अध्ययन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्तकर्ता महिलाओं को शामिल किया गया है। अध्ययन में जिले के ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों शामिल हैं। अध्ययन में चित्रकूट जिले की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ शामिल हैं, विशेष रूप से वे महिलाएँ जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं।

3.2. नमूने का आकार: प्रस्तुत शोध अध्ययन में जिले के विभिन्न विकास खंडों से कुल 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं की लाभार्थी हैं। यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन के लिए 90 लाभार्थियों को प्रश्नावली वितरित की गई थी, लेकिन विश्लेषण योग्य केवल 65 लाभार्थियों की प्रश्नावलियां थी, जिसके कारण 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है।

3.3. नमूनाकरण विधि: प्रस्तुत अध्ययन के लिए खुले प्रश्नों वाली एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें जनसांख्यिकी, भूमि स्वामित्व, आय के स्रोत, प्राप्त योजनाओं के लाभ और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा समूह केंद्रित चर्चा भी की गई है। शोध को सटीक बनाने के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करके उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। नमूना चयन के लिए बहुस्तरीय नमूनाकरण एवं उद्देश्यपूर्ण विधि को अपनाया गया है। इस तरह बहुस्तरीय नमूनाकरण (मल्टीस्टेज सैंपलिंग) के विभिन्न चरणों में स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन और उद्देश्यपूर्ण विधि दोनों को मिला कर आंकड़ों का संकलन किया गया है।

3.4. अध्ययन की आवश्यकता: चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि योजनाओं के कारण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक भागीदारी में कितना सुधार हुआ है। कई बार योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक नहीं पहुँच पाता है। अध्ययन से क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएँ, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ तथा सामाजिक अवरोधों की पहचान की जा सकती है। चित्रकूट की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय संसाधनों और सामाजिक समानता से संबंधित जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका वास्तविक स्वरूप अध्ययन से सामने आएगा। यह अध्ययन लैंगिक समानता (एसडीजी–5), गरीबी उन्मूलन (एसडीजी–1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी–4) तथा गरिमापूर्ण रोजगार (एसडीजी–8) जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायक होगा। चित्रकूट जैसे ग्रामीण बहुल जिले में महिलाओं का सशक्तिकरण परिवार, समुदाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का आधार है। इसलिए योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन स्थानीय विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन के आधार पर ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सके। अध्ययन के निष्कर्ष सरकार एवं नीति–निर्माताओं को योजनाओं में आवश्यक सुधार करने और नई रणनीतियाँ बनाने में उपयोगी होंगे।

3.5. अध्ययन का क्षेत्र: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। चित्रकूट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, धार्मिक पर्यटन और हस्तशिल्प पर निर्भर है। जिले का मुख्य आधार कृषि है। जिले में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और मौसमी रोजगार, महिलाओं की औसत आय अपेक्षाकृत कम होना, भूमि, पूंजी और आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच, बाजार और विपणन सुविधाओं का अभाव, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की कमी, घरेलू कार्यों का अधिक बोझ आदि के कारण नियमित आय, समृद्धि और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

जनगणना, 2011 के अनुसार, चित्रकूट जिले की कुल आबादी 9.92 लाख थी, जिसमें पुरुषों की आबादी 5.28 लाख और महिलाओं की आबादी 4.64 लाख थी। ग्रामीण आबादी 8.95 लाख (90.29 प्रतिशत) और शहरी आबादी 96 हजार (9.71 प्रतिशत) थी। चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक मुख्यतः ग्रामीण एवं आकांक्षी जिला है। यहाँ की अधिकांश महिलाएँ कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह, मनरेगा तथा असंगठित क्षेत्र के कार्यों पर निर्भर हैं। अधिकांश महिलाएँ खेती,

खेतिहर मजदूरी, पशुपालन तथा कृषि से जुड़े कार्यों में लगी हैं। अनेक महिलाएँ पारिवारिक कृषि कार्यों में योगदान देती हैं, लेकिन भूमि का स्वामित्व प्रायः पुरुषों के नाम होने के कारण उनकी आर्थिक निर्णय क्षमता सीमित रहती है। ग्रामीण महिलाओं की आय मुख्यतः कृषि मजदूरी, मनरेगा, डेयरी, बकरी पालन और छोटे घरेलू व्यवसायों से होती है। रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण कई परिवार गरीबी रेखा के आसपास जीवनयापन करते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जिले की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन : प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत विश्लेषण का उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी उत्तरदाताओं की किसी योजना के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, संस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन एव बोध के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनकी सामाजिक–आर्थिक परिस्थितयों पर भी पड़ता है।

सारणी–1 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। इसमें कुल उत्तरदाताओं के आंकड़ों को चार प्रमुख सामाजिक श्रेणियों में विभाजित कर उनकी आवृत्ति और प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है। सरकारी योजनाओं के 65 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण स्थानीयता, जाति, धर्म और शैक्षिक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 55.38 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ और 44.62 प्रतिशत शहरी महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं तक पहुँच रहा है।

जातीय संरचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 41.54 प्रतिशत उत्तरदाता जो कि सर्वाधिक हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के 33.85 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 24.62 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुँच रहा है, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। धार्मिक आधार पर 75.38 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू और 24.62 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन में हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है, जबकि अन्य धर्मों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

शैक्षिक स्तर के अनुसार 30.77 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षित हैं, जो सर्वाधिक हैं। इसके बाद 29.23 प्रतिशत अशिक्षित, 24.62 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित और 15.38 प्रतिशत उच्च शिक्षित उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थियों का शैक्षिक स्तर निम्न या मध्यम है तथा उच्च शिक्षित महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी-1: सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्थानीय संरचना	ग्रामीण महिलाएं	36	55.38
	शहरी महिलाएं	29	44.62
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	16	24.62
	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	41.54
	अनुसूचित जाति	22	33.85
धार्मिक संरचना	हिन्दू	49	75.38
	मुस्लिम व अन्य	16	24.62
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	19	29.23
	प्राथमिक शिक्षित	20	30.77
	माध्यमिक शिक्षित	16	24.62
	उच्च शिक्षित	10	15.38
	कुल उत्तरदाता	**65**	**100**

सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में ग्रामीण महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं और हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है। साथ ही अधिकांश लाभार्थी प्राथमिक शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुँच रही हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाएँ वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सार्थक भूमिका निभा रही हैं।

4.1. चित्रकूट में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के प्रभाव : चित्रकूट जिले की 65 महिला उत्तरदाताओं के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव के आकलन को सारणी–2 में प्रस्तुत किया गया है। सारणी में प्रत्येक प्रश्न के लिए समग्र सहमति, अनिश्चित और समग्र असहमति की आवृत्ति और प्रतिशत दिए गए हैं। सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जबकि 30.77 प्रतिशत असहमत तथा 18.46

प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं ने योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है।

सारणी के दूसरे प्रश्न में कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच प्रभावी ढंग से हुई है, जबकि 32.31 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजनाओं की पहुँच अपेक्षाकृत संतोषजनक प्रतीत होती है। इसी तरह, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है, जबकि 29.23 प्रतिशत असहमत और 23.08 प्रतिशत अनिश्चित रहे हैं। यह दर्शाता है कि योजनाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक योगदान दिया है।

सारणी-2: लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव कारक प्रश्न	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
क्या सरकारी योजनाओं से चित्रकूट की महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है?	आवृत्ति	33	12	20	65
	प्रतिशत	50.77	18.46	30.77	100
क्या सरकारी योजनाएँ लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं?	आवृत्ति	34	10	21	65
	प्रतिशत	52.31	15.38	32.31	100
क्या सरकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में करने में सहायता मिली है?	आवृत्ति	31	15	19	65
	प्रतिशत	47.69	23.08	29.23	100
क्या महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं?	आवृत्ति	30	13	22	65
	प्रतिशत	46.15	20.00	33.85	100
क्या सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है?	आवृत्ति	26	16	23	65
	प्रतिशत	40.00	24.62	35.38	100
क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है?	आवृत्ति	32	09	24	65
	प्रतिशत	49.23	13.85	36.92	100
क्या स्वयं सहायता समूहों ने चित्रकूट की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है?	आवृत्ति	35	12	18	65
	प्रतिशत	53.85	18.46	27.69	100
क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है?	आवृत्ति	33	10	22	65
	प्रतिशत	50.77	15.38	33.85	100
क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर और संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	36	10	19	65
	प्रतिशत	55.38	15.38	29.23	100
क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना से महिलाओं का वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है?	आवृत्ति	37	08	20	65
	प्रतिशत	56.92	12.31	30.77	100
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं की गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	30	13	22	65
	प्रतिशत	46.15	20.00	33.85	100
क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है?	आवृत्ति	29	15	21	65
	प्रतिशत	44.62	23.08	32.31	100

सारणी के चौथे प्रश्न में कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 20.00 प्रतिशत अनिश्चित हैं। यह संकेत देता है कि सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन के संबंध में उत्तरदाताओं की संतुष्टि अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार, कुल उत्तरदाताओं में से केवल 40.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है, जबकि 35.38 प्रतिशत असहमत और 24.62 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे पता चलता है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता का स्तर बहुत कम है, जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

सारणी के छठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है, जबकि 36.92 प्रतिशत असहमत और 13.85

प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजना का प्रभाव सकारात्मक दिखाई देता है। इसी तरह, कुल उत्तरदाताओं में से 53. 85 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, जबकि 27.69 प्रतिशत असहमत और 18.46 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं।

सारणी के आठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे योजना के स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक प्रभाव का संकेत मिलता है। इसी प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं प्रसव पूर्व देखभाल में वृद्धि हुई है, जो उच्चतम सहमति प्रतिशतों में से एक है। जबकि 29.23 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे योजना की प्रभावशीलता स्पष्ट होती है।

सारणी के दसवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना से महिलाओं का वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 56. 92 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जन–धन योजना से महिलाओं की वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, जबकि 30.77 प्रतिशत असहमत और 12.31 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे यह योजना महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं की गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 20.00 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजना का प्रभाव मध्यम स्तर का दिखाई देता है।

सारणी के बारहवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि योजना से महिलाओं में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, जबकि 32.31 प्रतिशत असहमत और 23.08 प्रतिशत अनिश्चित थीं। यह दर्शाता है कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है, किन्तु इसकी प्रगति और प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है।

इस तरह सारणी–2 के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि चित्रकूट जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक रहा है। सारणी के अधिकांश प्रश्नों पर लगभग 46 प्रतिशत से 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन–धन योजना (56.92 प्रतिशत), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (55.38 प्रतिशत), स्वयं सहायता समूह (53.85 प्रतिशत) तथा सरकारी योजनाओं की पहुँच (52.31 प्रतिशत) को महिलाओं ने अधिक प्रभावी माना है। दूसरी ओर, पारदर्शिता, स्वरोजगार एवं उद्यमिता, योजनाओं के प्रति प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों में सहमति का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है और असहमति का स्तर उल्लेखनीय है। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु इनके प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, प्रदर्शन, पारदर्शिता, लाभार्थी चयन तथा उद्यमिता संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.2. महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : महिलाओं के सशक्तिकरण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन सारणी–3 से 20 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत योजनाओं के आर्थिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी-3: महिलाओं की आय पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि हुई है?	हां	32	49.23
	नहीं	25	38.46
	अनिश्चित	08	12.31
	कुल योग	65	100

सारणी-4: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है?	हां	39	60.00
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–3 एवं सारणी–4 में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। सारणी–3 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण उनकी मासिक आय में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि 12.31 प्रतिशत उत्तरदाता प्रभाव के प्रति अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण अपनी आय में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव

किया है। हालांकि, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे योजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह स्थिति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुँच और आजीविका के अवसरों में सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है।

सारणी–4 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त होना अनुभव किया है। आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता, बचत, ऋण सुविधा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से भी है।

सारणी-5: आर्थिक निर्णयों में भागीदारी की स्थिति

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं से परिवार के आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है?	हां	31	47.69
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

सारणी-6: महिलाओं के कौशल विकास पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के तहत प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से महिलाओं के कौशल में वृद्धि हुई	हां	34	52.31
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	12	18.46
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–5 एवं सारणी–6 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के आर्थिक निर्णयों में भागीदारी तथा कौशल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–5 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवार के आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इसके विपरीत 32.31 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनकी भागीदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित रहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से परिवार के आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका को अधिक सशक्त एवं प्रभावी माना है। यह दर्शाता है कि योजनाओं ने महिलाओं में आत्मविश्वास, आर्थिक जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दिया है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–6 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने बताया कि योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से उनके कौशल में वृद्धि हुई है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनके कौशल में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 18.46 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित रहीं हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी माना और उनके माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल में सुधार का अनुभव किया। कौशल विकास के परिणामस्वरूप महिलाओं की रोजगार क्षमता, स्वरोजगार के अवसर और आय अर्जित करने की संभावनाओं में वृद्धि हुई होगी। फिर भी, कुछ महिलाओं तक प्रशिक्षण का प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सका, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, नियमितता और पहुँच में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।

सारणी-7: महिलाओं में आत्मनिर्भरता की स्थिति

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के लाभ से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-8: महिलाओं के गरीबी निवारण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं को गरीबी कम करने में सहायता मिली है?	हां	37	56.92
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–7 एवं सारणी–8 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के आत्मनिर्भरता तथा गरीबी निवारण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–7 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनकी आत्मनिर्भरता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर, प्रशिक्षण एवं वित्तीय संसाधनों तक पहुँच ने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ महिलाओं ने इसका अपेक्षित लाभ

अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–8 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उन्हें गरीबी कम करने में सहायता मिली है। वहीं 27.69 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाएँ प्रभाव के प्रति अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को गरीबी निवारण के लिए प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, वित्तीय सहायता, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव और आय के नए स्रोत उपलब्ध होने से महिलाओं एवं उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी, लगभग एक–चौथाई महिलाओं ने गरीबी में कोई विशेष कमी अनुभव नहीं की है, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं के लाभों का समान एवं व्यापक वितरण अभी भी एक चुनौती है।

सारणी-9: औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं से महिलाओं का आत्म-सम्मान और औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास बढ़ा है?	हां	31	47.69
	नहीं	22	33.85
	अनिश्चित	12	18.46
	कुल योग	65	100

सारणी-10: महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष सब्सिडी मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?	हां	36	55.38
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–9 एवं सारणी–10 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–9 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने बताया कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के कारण उनका आत्मसम्मान तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास बढ़ा है। इसके विपरीत 33.85 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनके विश्वास में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 18.46 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के प्रति अधिक विश्वास विकसित किया है। इससे महिलाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, बचत की प्रवृत्ति, ऋण सुविधाओं तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय साक्षरता एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी–10 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सब्सिडी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता, सब्सिडी, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव ने महिलाओं की आय, बचत और जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, कुछ महिलाओं को इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक समुचित पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को इंगित करता है।

सारणी-11: रोजगार के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से महिलाओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं?	हां	34	52.31
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

सारणी-12: सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं के लाभ से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है?	हां	37	56.92
	नहीं	17	26.15
	अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–11 एवं सारणी–12 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–11 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से उनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 32.31 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से रोजगार के अवसरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि का अनुभव किया है। योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित हुए

हैं। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने रोजगार के अवसरों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक उनकी समुचित पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

सारणी–12 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने माना कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। वहीं 26.15 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 16.92 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से नियमित बचत, बीमा, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और आर्थिक जोखिमों से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे महिलाओं के जीवन स्तर, आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना में सकारात्मक परिवर्तन आया है। फिर भी, कुछ महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच सका, जो योजनाओं की पहुँच, जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

सारणी-13: वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या अपना बैंक खाता होने से परिवार के वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है?	हां	30	46.15
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-14: बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या जन धन खाता खुलने से महिलाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ा है?	हां	33	50.77
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–13 एवं सारणी–14 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–13 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने बताया कि अपना बैंक खाता होने से परिवार के वित्तीय निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि बैंक खाता होने के बावजूद उनकी भूमिका में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने बैंक खाता होने के कारण परिवार के आर्थिक एवं वित्तीय निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ने का अनुभव किया है। बैंक खाते के माध्यम से महिलाओं को अपनी आय एवं बचत पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जो यह संकेत देता है कि केवल बैंक खाता होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता एवं परिवार में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी–14 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने बताया कि जन–धन खाता खुलने के बाद उनके द्वारा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ा है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने जन–धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं जैसे बचत, धन जमा एवं निकासी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सुविधाओं का अधिक उपयोग करना प्रारम्भ किया। इससे महिलाओं का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव बढ़ा और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिला है। फिर भी, कुछ महिलाओं द्वारा बैंकिंग सेवाओं का सीमित उपयोग यह संकेत देता है कि वित्तीय जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं बैंकिंग सुविधाओं की सहज उपलब्धता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी-15: औपचारिक बचत की आदत पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या जन धन खाता से महिलाओं की औपचारिक बचत करने की आदत में सुधार हुआ है?	हां	37	56.92
	नहीं	17	26.15
	अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100

सारणी-16: महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं का लाभार्थी बनने से महिलाओं का वित्तीय समावेशन हुआ है?	हां	35	53.85
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–15 एवं सारणी–16 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के औपचारिक बचत की आदत तथा वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–15 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने बताया कि जन–धन खाता खुलने के बाद उनकी औपचारिक रूप से बचत करने की आदत में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 26.15 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनकी बचत करने की आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 16.92 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे

स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने जन–धन योजना के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के बाद नियमित बचत की प्रवृत्ति विकसित की है। बैंक खाते की उपलब्धता ने महिलाओं को सुरक्षित बचत करने, धन का बेहतर प्रबंधन करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक संसाधन संचित करने हेतु प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी सहायता राशि और अन्य वित्तीय सुविधाओं ने भी औपचारिक बचत की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ महिलाओं में बचत की आदत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जो वित्तीय जागरूकता एवं आय के सीमित स्रोतों जैसी चुनौतियों की ओर संकेत करता है।

सारणी–16 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 53.85 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से उनका वित्तीय समावेशन हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 21. 54 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं का औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव बढ़ा है। बैंक खाते, सरकारी अनुदान, ऋण सुविधाओं, बीमा योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच ने महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, वित्तीय सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। हालांकि, कुछ महिलाओं तक इन सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं पहुँच पाया है, जो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल जागरूकता एवं योजनाओं की प्रभावी पहुँच में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

सारणी-17: लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के लाभ से महिलाओं के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है?	हां	38	58.46
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	09	13.85
	कुल योग	65	100

सारणी-18: बचत और बीमा में वृद्धि पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं की बचत और बीमा में वृद्धि हुई है?	हां	32	49.23
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–17 एवं सारणी–18 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के उपभोग स्तर तथा बचत एवं बीमा पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–17 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 58.46 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनके उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 27.69 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनके उपभोग स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जबकि 13.85 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता में वृद्धि का अनुभव किया है। योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर, डीबीटी और आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप महिलाओं के भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक उपभोग संबंधी व्ययों में सुधार हुआ है। यद्यपि कुछ महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के लाभों का समान वितरण तथा प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी आवश्यक है।

सारणी–18 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी बचत तथा बीमा से जुड़ाव में वृद्धि हुई है। वहीं 27.69 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 23.08 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से बचत करने तथा बीमा योजनाओं से जुड़ने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाओं तक पहुँच ने महिलाओं में भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। हालांकि, अपेक्षाकृत अधिक संख्या में महिलाओं का अनिश्चित रहना यह संकेत देता है कि बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी-19: वित्तीय समझ और बाजार पहुंच पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की वित्तीय समझ और बाजार पहुंच में वृद्धि हुई है?	हां	29	44.62
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-20: अनौपचारिक ऋण की कमी पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं के लाभ से महिलाओं की अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है?	हां	31	47.69
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–19 एवं सारणी–20 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के वित्तीय समझ एवं बाजार तक पहुँच तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित

करती हैं। सारणी–19 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण उनकी वित्तीय समझ तथा बाजार तक पहुँच में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से इस क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय ज्ञान, बाजार की जानकारी तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन के अवसरों में सुधार का अनुभव किया है। योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जबकि एक उल्लेखनीय वर्ग अनिश्चित रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय शिक्षा, बाजार संपर्क तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी–20 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने माना कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी अनौपचारिक ऋण (जैसे साहूकार या निजी उधार) पर निर्भरता में कमी आई है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 23.08 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं, स्वयं सहायता समूहों, रियायती ऋण और अन्य औपचारिक वित्तीय स्रोतों तक पहुँच प्राप्त की, जिससे उन्हें अनौपचारिक ऋण पर कम निर्भर रहना पड़ा। इससे महिलाओं पर उच्च ब्याज दरों का आर्थिक बोझ कम हुआ तथा उनकी वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। हालांकि, कुछ महिलाओं तक औपचारिक ऋण सुविधाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया, जो वित्तीय समावेशन एवं ऋण सुविधाओं की पहुँच को व्यापक बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

4.3. महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव : महिलाओं के सशक्तिकरण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन सारणी–21 से 36 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत योजनाओं के सामाजिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी-21: परिवार और समाज में सम्मान पर प्रभाव				सारणी-22: सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत	प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है?	हां	30	46.15	प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा है?	हां	33	50.77
	नहीं	20	30.77		नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	15	23.08		अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100		कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–21 एवं सारणी–22 में महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करती हैं। इनमें परिवार एवं समाज में सम्मान तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सारणी–21 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का सम्मान बढ़ाने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 23.08 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश (46.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विश्वास है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सम्मान में सकारात्मक वृद्धि की है। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों का प्रतिशत अधिक होने से यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–22 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा है। जबकि 32.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 16.92 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक

भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक पहचान में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता अभी भी इन योजनाओं के प्रभाव को पर्याप्त नहीं मानते, फिर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिशत अधिक है।

सारणी-23: महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?	हां	32	49.23
	नहीं	23	35.38
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

सारणी-24: महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है?	हां	31	47.69
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–23 एवं सारणी–24 में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी–23 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं से जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वहीं 15.38 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि उत्तरदाताओं के एक उल्लेखनीय प्रतिशत ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–24 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है। जबकि 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 23.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना तथा कुछ अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके।

सारणी-25: लैंगिक भेदभाव पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव का स्तर घटा है?	हां	28	43.08
	नहीं	23	35.38
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-26: घरेलू निर्णयों में भूमिका पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है?	हां	34	52.31
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–25 एवं सारणी–26 में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव में कमी तथा घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी–25 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 43.08 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव का स्तर घटा है। इसके विपरीत 35.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का इस दिशा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 21.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश (43.08 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा लैंगिक असमानता को कम करने में योगदान दिया है। यद्यपि असहमति व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों की संख्या अधिक होने से यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–26 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित रहे हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और पारिवारिक भागीदारी को सुदृढ़ करने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा जागरूकता बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप वे परिवार के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। हालांकि

कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना, जिससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी सोच के कारण अभी भी कई परिवारों में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका सीमित है।

सारणी-27: स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ है?	हां	35	53.85
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-28: महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	17	26.15
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–27 एवं सारणी–28 में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–27 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 53.85 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं 21.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण संबंधी सुविधाएँ तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त हुआ है। परिणामस्वरूप महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार तथा पोषण संबंधी जागरूकता में वृद्धि हुई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने योजनाओं के प्रभाव से असहमति व्यक्त की या स्पष्ट राय नहीं दी है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–28 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 26.15 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता और सामाजिक भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे परिवार एवं समाज में उनकी पहचान, सम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में अपेक्षित सुधार अभी नहीं हुआ है और कुछ उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

सारणी-29: महिलाओं की डिजिटल साक्षरता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है?	हां	29	44.62
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-30: सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्नः क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है?	हां	31	47.69
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–29 एवं सारणी–30 में महिलाओं की डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–29 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का डिजिटल साक्षरता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 24.62 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में डिजिटल ज्ञान एवं तकनीकी जागरूकता बढ़ने की पुष्टि की है। उनका मानना है कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों तथा बैंकिंग एवं ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण महिलाएँ मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने लगी हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना और कुछ निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–30 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। जबकि 32.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सभाओं, सामाजिक संगठनों, सामुदायिक कार्यक्रमों तथा स्थानीय विकास गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का

विकास हुआ है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची है और स्पष्ट राय नहीं दे सके हैं।

सारणी-31: सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता का स्तर बढ़ा है?	हां	32	49.23
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-32: महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की पुरानी सोच में सकारात्मक बदलाव लाया है?	हां	34	52.31
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–31 एवं सारणी–32 में महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता तथा व्यवहार एवं सामाजिक सोच में परिवर्तन पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। सारणी–31 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक गतिशीलता का स्तर बढ़ा है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का सामाजिक गतिशीलता में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं 21.54 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बनी हैं और सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना और कुछ ने स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–32 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की पुरानी सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के व्यवहार, दृष्टिकोण एवं सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता, अधिकारों के प्रति समझ, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। परिणामस्वरूप वे पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को सीमित माना और कुछ निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

सारणी-33: निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है?	हां	30	46.15
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	17	26.15
	कुल योग	65	100

सारणी-34: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई है?	हां	36	55.38
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–33 एवं सारणी–34 में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–33 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके विपरीत 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का महिलाओं की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 26.15 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक अवसर और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर मिलने के कारण वे परिवार, समुदाय तथा स्थानीय स्तर के निर्णयों में पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और कुछ स्पष्ट राय नहीं दे सके हैं, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

सारणी–34 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है। जबकि 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच बढ़ाने में प्रभावी

मानते हैं। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि के माध्यम से महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवाएँ, टीकाकरण, पोषण सहायता तथा स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएँ अधिक सुलभ हुई हैं। परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इसको पर्याप्त नहीं माना या स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

सारणी-35: महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन पर प्रभाव				सारणी-36: बुनियादी सुविधाओं पर प्रभाव			
प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत	प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या पीएमएवाई के तहत पक्के घर का मालिकाना हक मिलने से महिलाओं का जीवन गरिमापूर्ण हुआ है?	हां	33	50.77	प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	20	30.77		नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	12	18.46		अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100		कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–35 एवं सारणी–36 में पीएमएवाई के अंतर्गत महिलाओं को आवासीय स्वामित्व मिलने से उनके जीवन में गरिमा तथा महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। सारणी–35 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत का मत है कि पीएमएवाई के अंतर्गत पक्के घर का स्वामित्व मिलने से महिलाओं का जीवन अधिक गरिमापूर्ण हुआ है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि इस योजना का महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, वहीं 18.46 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि आवासीय स्वामित्व ने महिलाओं के आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। स्वयं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में आवास प्राप्त होने से महिलाओं में स्वामित्व की भावना विकसित हुई है, जिससे उनका सामाजिक दर्जा एवं निर्णय क्षमता भी सुदृढ़ हुई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और कुछ ने स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–36 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, वहीं 24.62 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, आवास, स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। इन सुविधाओं के विस्तार से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा दैनिक कार्यों में सुविधा आई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि इन योजनाओं का लाभ अभी सभी पात्र महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है, जबकि कुछ उत्तरदाता इस विषय में निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

5. परिणाम एवं परिचर्चा : प्रस्तुत शोध अध्ययन में चित्रकूट जिले के विभिन्न विकास खंडों से कुल 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं की लाभार्थी हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में ग्रामीण महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं और हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है। अधिकांश लाभार्थी प्राथमिक शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुँच रही हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाएँ वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सार्थक भूमिका निभा रही हैं।

अध्ययन (सारणी–3 एवं सारणी–4) से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का महिलाओं के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहाँ लगभग 49.23 प्रतिशत महिलाओं ने आय में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 60.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस किया। इससे यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, कुछ महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है। इसलिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाने तथा पात्र महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह इस उद्देश्य की पुष्टि करता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सारणी–5 एवं सारणी–6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। जहाँ 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के आर्थिक निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ने की पुष्टि की, वहीं 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं प्रदान कर रही हैं, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता तथा कौशल विकास के माध्यम से सशक्त भी बना रही हैं। फिर भी, जिन महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए योजनाओं की पहुँच, प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–7 एवं सारणी–8 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता विकास एवं गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने आत्मनिर्भरता में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि योजनाओं से उन्हें गरीबी कम करने में सहायता मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। फिर भी, सभी पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान लाभ सुनिश्चित करने, जागरूकता बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का समग्र सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण सुदृढ़ हो सके।

सारणी–9 एवं सारणी–10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर अपने विश्वास में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 55.38 प्रतिशत महिलाओं ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सरकारी सहायता के कारण अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार अनुभव किया। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। तथापि, जिन महिलाओं तक योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए वित्तीय साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रमों, योजनाओं की पारदर्शिता तथा प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अधिक व्यापक, समावेशी एवं स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–11 एवं सारणी–12 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के रोजगार सृजन तथा सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा में सुधार का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, वित्तीय स्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके समग्र सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तथापि, पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान एवं प्रभावी लाभ पहुँचाने, जागरूकता बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने और तथा योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का सतत एवं समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

सारणी–13 एवं सारणी–14 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री जन–धन योजना एवं अन्य वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने महिलाओं की वित्तीय निर्णयों में भागीदारी तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के वित्तीय निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ने की पुष्टि की, वहीं 50.77 प्रतिशत महिलाओं ने बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा वित्तीय सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर रही हैं। तथापि, सभी महिलाओं तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना आवश्यक है। इससे महिलाओं का समावेशी एवं सतत आर्थिक सशक्तिकरण अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–15 एवं सारणी–16 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं में औपचारिक बचत की आदत विकसित करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने जन–धन खाते के माध्यम से नियमित बचत की आदत में सुधार की पुष्टि की, वहीं 53.85 प्रतिशत महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ने का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, बचत, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर रही हैं। फिर भी, जिन महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का समावेशी, स्थायी एवं व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

सारणी–17 एवं सारणी–18 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के उपभोग स्तर, बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जुड़ाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 58.46 प्रतिशत महिलाओं ने अपने उपभोग स्तर में सुधार की पुष्टि की, वहीं 49.23 प्रतिशत महिलाओं ने बचत एवं बीमा में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की आय, वित्तीय सुरक्षा तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ–साथ उन्हें भविष्य के आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए भी सक्षम बना रही हैं। तथापि, सभी पात्र महिलाओं तक योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय एवं बीमा संबंधी जागरूकता बढ़ाना, योजनाओं की पहुँच का विस्तार करना तथा उनके प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इससे महिलाओं का समग्र आर्थिक सशक्तिकरण अधिक प्रभावी एवं स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–19 एवं सारणी–20 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की वित्तीय समझ, बाजार तक पहुँच तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 44.62 प्रतिशत महिलाओं ने वित्तीय समझ एवं बाजार पहुँच में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर, वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर तथा सुलभ ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत बना रही हैं। फिर भी, अधिकाधिक पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान एवं प्रभावी लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय जागरूकता, बाजार संपर्क, संस्थागत ऋण की उपलब्धता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं का समावेशी, आत्मनिर्भर एवं सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–21 एवं सारणी–22 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के परिवार एवं समाज में सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। क्रमशः 46.15 प्रतिशत और 50.77 प्रतिशत महिलाओं ने इन योजनाओं के अनुकूल प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने, उनके आत्मसम्मान एवं सामाजिक पहचान को बढ़ाने तथा समाज में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं की असहमति एवं अनिश्चितता यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, क्रियान्वयन तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–23 एवं सारणी–24 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्रमशः 49.23 प्रतिशत तथा 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने योजनाओं के अनुकूल प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी, असहमति और अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सारणी–25 एवं सारणी–26 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। 43.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव में कमी आई है, जबकि 52.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं में समानता, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं की असहमति एवं अनिश्चितता यह दर्शाती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता, लैंगिक संवेदनशीलता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी–27 एवं सारणी–28 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 53.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार और 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के समग्र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा समाज में उनकी गरिमापूर्ण स्थिति को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। तथापि, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं की पहुँच, प्रभावी क्रियान्वयन तथा जन–जागरूकता को अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र महिला तक समान रूप से पहुँच सके।

सारणी–29 एवं सारणी–30 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 44.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डिजिटल साक्षरता में वृद्धि तथा 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं की पहुँच, डिजिटल प्रशिक्षण, जन–जागरूकता तथा प्रभावी क्रियान्वयन को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक पात्र महिला इन योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके।

सारणी–31 एवं सारणी–32 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक गतिशीलता तथा व्यवहार एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सार्थक भूमिका निभाई है। 49.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि और 52.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहार एवं पारंपरिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मानसिक रूप से भी सशक्त बना रही हैं। फिर भी, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं स्थायी बनाने के लिए जागरूकता, प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–33 एवं सारणी–34 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने तथा 55.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा परिवार के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। तथापि, असहमति और अनिश्चितता वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने के लिए जागरूकता, सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुँच को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी–35 एवं सारणी–36 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 50.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन में गरिमा एवं सम्मान बढ़ने की पुष्टि की, जबकि 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि को स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। तथापि, असहमति एवं अनिश्चितता वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने के लिए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जागरूकता और लाभों की समान पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन के दौरान प्राप्त आँकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। आर्थिक दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य रोजगारपरक योजनाओं ने महिलाओं की आय में वृद्धि, बचत की प्रवृत्ति, स्वरोजगार के अवसर एवं

आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। महिलाओं की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, वित्तीय निर्णयों में भागीदारी तथा आर्थिक सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

सामाजिक दृष्टि से अध्ययन में पाया गया कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के परिवार एवं समाज में सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय निर्माण में भागीदारी, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता में वृद्धि हुई है। महिलाओं की डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय स्वामित्व मिलने से महिलाओं के आत्मसम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन में भी वृद्धि हुई है। इस तरह चित्रकूट जिले में संचालित सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ एवं बाल कल्याण जैसी योजनाएं महिलाओं के जीवन स्तर, आत्मविश्वास और निर्णय–निर्माण क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। इसके बावजूद उल्लेखनीय संख्या में असहमति या अनिश्चितता की अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। जागरूकता की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, प्रशासनिक जटिलताएँ, डिजिटल संसाधनों का सीमित उपयोग, सामाजिक बाधाएँ, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ और सामाजिक रूढ़ियाँ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं। इन बाधाओं और योजनाओं में निहित कमियों को दूर कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से चित्रकूट जिले में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र महिला को योजनाओं की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। ग्राम स्तर पर नियमित जागरूकता शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे महिलाओं में अधिकारों एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़े। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, जिससे महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान तथा सरकारी पोर्टलों का प्रभावी उपयोग कर सकें। जिले के स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी, वित्तीय एवं विपणन सहायता प्रदान कर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने की भी आवश्यकता है।

महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विकसित किया जाए। बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की सरल एवं शीघ्र पहुँच सुनिश्चित की जाए तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाया जाए। स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हुए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए। महिलाओं को बाजार, ई–कॉमर्स एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकारी योजनाओं के नियमित मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुँच सके। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, इसलिए सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय बढ़ाकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए दोतरफा प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे कि एक ओर ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए अर्थात महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं रोजगार से संबंधित योजनाओं को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू किया जाए, जिससे समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायत स्तर पर महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लैंगिक समानता एवं महिला अधिकारों से संबंधित जन–जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक रूढ़ियों एवं भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

चित्रकूट भौगोलिक रूप से पठारी और आर्थिक रूप से आकांक्षी जिला होने के कारण सरकारी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण का केवल कल्याणकारी उपक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का बड़ा जरिया बनाना चाहिए। चित्रकूट जिले में सरकारी योजनाओं के प्रति धारणा को महज 'लाभार्थी को लाभांवित' से बदलकर 'महिलाओं को परिवर्तन की एजेंट' बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखनी चाहिए। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम बनती है तो उसे अपने अधिकारों अथवा सक्षमता का ज्ञान होता है, जिससे अंततः उसका परिवार गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकलता है।

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इन योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य,

शिक्षा, निर्णय क्षमता तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये योजनाएं जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई हैं, किन्तु इनके अधिक व्यापक, समावेशी एवं स्थायी प्रभाव के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं जन–जागरूकता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निगरानी, व्यापक जन–जागरूकता और सभी पात्र महिलाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए, तो भविष्य में ये योजनाएँ महिलाओं के समग्र एवं सतत् सशक्तिकरण के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होंगी। यह अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सरकारी योजनाएँ केवल कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन एवं समावेशी विकास का सशक्त माध्यम हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. पांडे, अर्चना एवं शुक्ला, एम.एस. (2026)। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरणरू साहित्य की एक आलोचनात्मक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (आईजेएमआर), 12(4), अप्रैल–2026। https://doi.org/10.36713/epra27299
2. कुमार, वैभव एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 20–34। https://doi.org/10.5281/zenodo.21424970
3. कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–51। https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148
4. लखन, राम एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में)। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम–1, अंक–1, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ 36–46। https://doi.org/10.5281/zenodo.21316892
5. शर्मा, पी. एवं वर्मा, आर. (2022)। बुंदेलखंड में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिकारू चित्रकूट जिले का एक विशेष अध्ययन। भारतीय सामाजिक शोध पत्रिका, 14(2), 45–58।
6. द्विवेदी, एम. (2021)। बुंदेलखंड की ग्रामीण महिलाएँ और स्थानीय स्वशासनः चित्रकूट क्षेत्र का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (अप्रकाशित शोध–प्रबंध)। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. Pawni, & Kumar, D. (2025). Barriers to education and skill development among rural women in Chitrakoot (UP): An empirical study. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(4), 1–9. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.53771
8. Tripathi, S. (2025). Barriers to education and skill development among rural women in Chitrakoot (UP): An empirical study. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(4), 1–9.
9. Lall, A., & Sharma, R. (2023). An assessment of parity in higher education in Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 10(5), 234–241.
10. Yadav, P., & Singh, V. (2021). Impact of self-help groups (SHGs) on rural women empowerment in Chitrakoot district of Uttar Pradesh. Indian Journal of Social Work, 82(3), 311–326.
11. International Institute for Population Sciences (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: International Institute for Population Sciences (IIPS) & Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
12. NITI Aayog (2021). National Multidimensional Poverty Index: Baseline report based on NFHS-4 (2015–16). Government of India.
13. Thakur, D. J., & Sharma, D. (2020). The Upliftment in Status of Women Empowerment in 20th century: A study of Bundelkhand Region, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, India. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 1575–1586. https://doi.org/10.61841/dsb7c265
14. Padmaja, R., Kavitha, K., Pramanik, S., Duche, V. D., Singh, Y. U., Whitbread, A. M., Singh, R., Garg, K. K., & Leder, S. (2020). Gender Transformative Impacts from watershed interventions: Insights from a mixed-methods study in the Bundelkhand region of India. Transactions of the ASABE, 63(1), 153–163.
15. Srivastava, S., & Mishra, A. K. (2019). Socio-Economic Conditions and Status of Rural Women in Bundelkhand: Issues and challenges. Journal of Rural Development, 38(2), 145–160.
16. Gupta, S., & Singh, S. (2019). Status of women empowerment in agriculture: A reality of Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Indian Journal of Extension Education, 55(3), 42–48.
17. Singh, A. P., & Bhatt, S. (2018). Status of women in Bundelkhand: A social work perspective. Journal of Social Welfare and Management, 10(2), 145–152.

18. Centre for Women's Development Studies (2019). Gender dynamics and rural governance in drought-prone regions of Uttar Pradesh. CWDS Publications.
19. National Commission for Women. (2018). Socio-economic impact of drought on women in Bundelkhand region: A field report. Government of India.
20. Singh, R. K. (2014). Women Empowerment and Panchayati Raj: A study of women representatives in Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Indian Social Institute.
21. Narula, M. (2009). Education, Gender, Access and Participation to Elementary Education in Bundelkhand region of U.P. National University of Educational Planning and Administration (NUEPA).
22. Kumar, N. P. (2008). Trends and Determinants of Female Work Participation in Uttar Pradesh (Working Paper No. 192). Giri Institute of Development Studies.
23. Nagar, R. (2000). Mujhe Jawab Do! (Answer me!): Women's grass-roots activism and social spaces in Chitrakoot (India). Gender, Place & Culture, 7(4), 341–362. https://doi.org/10.1080/713668879

=====

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह एवं यादव, अमित कुमार (2026)। चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 01–23। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787217